culture in the curriculum at various stages of education. The school programmes are also suplemented by other activities such as programmes for bringing students together on a common platform and enable them to gain first hand knowledge of the diversified culture of the country through eduational tours, development of modern and Indian classical languages and making rich store house of lactures available to a large number of schools in different parts of the country.,

The Central Institute of Educational Technology (CIET), a constituent unit of the NCERT has produced a wide range of educational technology material—films, video programmes, charts, slides, film strips pertaining to different areas of learning in the general curriculum including value education. The NCERT has also produced recorded cassettes of 15 community songs in different Indian languages to instil in children the spirit of unity and love for the country. Teachers are trained in specially organised camps in teaching, to sing these songs as part of their curricular programmes. The songs are chosen for their message of universal love, unity and patriotism.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विरुद्ध निर्णय

*400. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न न्यायालयों में वायु और जल प्रदूषण के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 50 प्रतिशत से भी अधिक मुकदमों का निर्णय बोर्ड के खिलाफ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में स्थिति की समीक्षा कराई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में दायर किए गए 6565 मामलों में से 1313 मामलों में निर्णय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के विरुद्ध गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

सूखाग्रस्त गांव घोषित करने के संबंध में मानदण्ड

2874. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) न्यूनतम तथा अधिकतम वर्षा के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में ग्रामों को सूखाग्रस्त घोषित करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) यह योजना कब से चालू है और इस योजना के प्रारम्भ के समय गांवों को सूखाग्रस्त घोषित करने के संबंध में क्या मानदण्ड अपनाया गया था तथा इस समय किस मानदण्ड का अनुपालन किया जा रहा है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) गांवों को सूखा प्रभावित घोषित करना राज्य सरकारों का विषय है। इस प्रकार की घोषणा करने का मानदण्ड एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है। राज्य सरकारें राज्य राहत मैन्युअलों अथवा इस विषय पर अन्य सरकारी आदेशों में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार इस मुद्दे पर विचार करते समय राज्य सरकारें अपर्याप्त अथवा भारी वर्षा के कारण फसल को हुई क्षति को ध्यान में रखती है। सामान्यतया, वे गांव जहां सामान्य की तुलना में 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसल की हानि होती है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित माने जाते हैं। गांवों/ब्लाकों/तहसीलों को सूखे से प्रभावित घोषित करते समय निम्नलिखित घटकों की भी ध्यान में रखा जाता है।

(1) खाद्यान्नों तथा चारे की उपलब्धता और मूल्य।

(2) रोजगार की स्थिति और मजदूरी का रुख।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों से श्रमिक वर्ग का असामान्य स्थान परिवर्तन।

(4) विपत्ति के संकेत देने वाले अन्य घटक।

यह प्रणाली विभिन्न राज्यों में विभिन्न समय से लागू है।